## Speech of Smt Rabari Devi, Chief Minister, Bihar

50th National Development Council Meeting on 21st December 2002 at New Delhi

सम्माननीय प्रधान मंत्रीजी, योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीगण, माननीय राज्यपाल एवं उप-राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण एवं पदाधिकारीगण,

हम प्रधानमंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दशम् पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार-विमर्श के लिए हमें बुलाया है ।

2. राष्ट्रीय विकास परिषद् की विगत बैठक में दशम् पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा हुयी थी । उस बैठक में हमने कहा था कि दशम् पंचवर्षीय योजना के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की जो विकास दर रखी गयी है, वह आवश्यक है; पर वह बहुत महत्वाकांक्षी भी है । उसके बाद आर्थिक विकास की जो दर प्राप्त हुयी है वह बहुत आशाजनक नहीं रही है । इस वित्तीय वर्ष (2002-03) में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया है जो प्रस्तावित 8 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी कम है । निश्चय ही 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए आगामी वर्षों में इसे और बढ़ाना होगा । इस वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी है । इसकी पूर्ति हेतु दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जिनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं ।

3. पहला सुझाव विनिवेश का है जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित आर्थिक विकास की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए 16 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष के विनिवेश की आवश्यकता होगी । दूसरा सुझाव यह है कि देश में बचत की स्थिति को देखते हुए हमें विदेशी पूंजी का सहारा लेना पड़ेगा और इस हेतु साढ़े सात बिलियन अमेरिकन डॉलर प्रतिवर्ष के पूंजी-आयात का लक्ष्य रखा गया है ।

4. हमारी समझ से इन दोनों स्रोतों पर निर्भरता काल्पनिक ही है। मुझे नहीं लगता है कि 16 हजार करोड़ रु० प्रतिवर्ष के विनिवेश का कार्यक्रम सफलीभूत होगा । पिछले 10 सालों में ( 1991-92 से 2000-01 ) में हमलोग औसतन मात्र 2 हजार करोड़ प्रति वर्ष विनिवेश कर पाये हैं । इसे एकाएक बढ़ाकर 16 हजार करोड़ रु० करना अत्यंत कठिन लगता है, खासकर जब विनिवेश के प्रश्न पर देश में मतैक्य ही नहीं है । खुद केन्द्र सरकार के विभिन्न घटकों में इस बिन्दु पर एकजुटता नहीं है । विनिवेश की कोई स्थापित रणनीति भी नहीं है । इसके अलावे अभी पूंजी बाजार में मंदी की जो स्थिति है । उसमें विनिवेश से राष्ट्रीय सत्पत्ति के लिए अच्छी कीमत भी मिलने की संभावना नहीं है । अत: हमारी राय है कि इस बिन्दु पर राष्ट्रीय विकास परिषद की एक विशेष बैठक बुलायी जाए । इस बैठक की कार्यावली के रूप में एक श्वेत-पत्र तैयार किया जाए और उनमें उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हो ताकि सर्वसम्मति से विनिवेश की नीति का निर्धारण हो सके ।

5. लगभग यही स्थिति विदेशी पूंजी के आयात की भी है । 90 के दशक में हमलोग औसतन साढ़े तीन अरब अमेरिकन डॉलर की विदेशी पूंजी का आयात कर सके हैं । इसको बढ़ाकर साढ़े सात अरब डॉलर प्रतिवर्ष पहुँचाने में भी हमे संदेह लगता है । यह उल्लेख्य है कि विदेशी पूंजी का देश में आगमन विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है । अभी पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है । अधिक निवेश के लिए उपयुक्त नीतिगत वातावरण बनाने के संबंध में केन्द्र सरकार के एक कार्यबल ने अपने कुछ सुझाव दिये हैं । फिर भी अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है । अत: हमे प्रत्याशित विदेशी पूंजी के आयात की संभावना कम दीखती है ।

6. यदि विनिवेश और विदेशी पूंजी के आयात में कमी होती है तो निश्चय ही आंतरिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ेगी तथा उसे बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी । इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा भी पहल किये जाने की आवश्यकता हैं । अबतक इस दिशा में प्रयास यथेष्ट नही रहे है । 1990-91 में भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 10 प्रतिशत थी । सन् 2000-01 में यह अनुपात घटकर 9.1 प्रतिशत हो गयी । इससे स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में पिछले 10 वर्षों में कमी ही हुयी है । दूसरी ओर भारत सरकार के राजस्व व्यय में वृद्धि हुयी है । सन् 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भारत सरकार का राजस्व व्यय 12.9 प्रतिशत था जो सन् 2000-01 में बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो गया है । राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्चों में सामंजस्य नही रहने के कारण राजस्व अथवा राजकोषीय घाटा में वांछित सुधार नही हुआ है । राजकोषीय घाटा में कमी लाने के लिए सरकार के आय में वृद्धि की जाए तथा राजस्व व्यय में कमी की जाए । राजस्व व्यय में कमी के लिए भारत सरकार ने एक व्यय आयोग का गठन किया था । उसकी अनुशंसा भी प्राप्त हुयी । पर अबतक इसके कार्यान्वयन में विशेष प्रगति नही हुई है । राज्यों से यह अपेक्षा है कि वे अपने राजस्व घाटा को नियंत्रित करें तबतक निरर्थक है जबतक केन्द्र इस दिशा में कारगर कदम नहीं उठाता है ।

7. दशम् पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में प्रस्ताव है कि पूरे देश की योजना अवधि में लगभग 15 लाख 25 हजार करोड़ रुपयों का उद्व्यय हो । हमें खुशी है कि इसमें से अधिकांश हिस्सा, लगभग तीन चौथाई हिस्सा, देश में आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के सृजन पर खर्च होगा । सर्वाधिक प्राथमिकता ऊर्जा को दी गयी है जिस

पर सम्पूर्ण योजना के उपबंध का लगभग 26.48 प्रतिशत खर्च किया जायेगा । उसके बाद परिवहन तथा संचार व्यवस्था पर क्रमश: 14.81 तथा 6.49 प्रतिशत का व्यय होगा । तत्पश्चात् सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 6.77 प्रतिशत का व्यय होगा । सामाजिक सेवाओं पर 22. 77 प्रतिशत का व्यय होगा । इसके अतिरिक्त लगभग 13.22 प्रतिशत कृषि तथा ग्रामीण विकास, लगभग 3.86 प्रतिशत औद्योगिक विकास तथा लगभग 5.60 प्रतिशत अन्य आर्थिक तथा सामान्य सेवाओं के सृजन पर खर्च होगा । हम दशम् पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं से सहमत हैं ।

8. यह भी उल्लेख्य है कि दशम् पंचवर्षीय योजना में 15 लाख 25 हजार करोड़ रूपयों के उद्व्यय में लगभग 8 लाख 93 हजार करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिए तथा 6 लाख 32 हजार करोड़ रु० राज्यों की योजनाओं पर खर्च होंगे । राज्यों की योजनाओं के आकलन में संघ शासित प्रदेशों के उद्व्यय भी सम्मिलित हैं । दूसरे शब्दों में, दशम पंचवर्षीय योजना के कुल उद्व्यय का लगभग 59 प्रतिशत केन्द्रीय योजनाओं पर और 41 प्रतिशत राज्य की योजनाओं पर खर्च का प्रस्ताव है । जबकि नवम् पंचवर्षीय योजना में कुल उद्व्यय का लगभग 58 प्रतिशत केन्द्रीय योजनाओं पर तथा 42 प्रतिशत राज्य की योजनाओं पर खर्च हुआ था । देश के बहुतेरे विकासीय कार्य राज्यों में संचालित होते हैं । अत: हमारी राय में प्रस्तावित उद्व्यय का अधिकांश भाग राज्य की योजनाओं पर होना चाहिए न कि केन्द्र की योजनाओं पर । यह भी उल्लेख्य है कि राज्यों की योजनाओं पर जो खर्च होगा उसका मात्र 3.32 प्रतिशत बिहार में खर्च होगा जो उसकी आबादी तथा समस्या के आलोक में बहुत कम है ।

9. दशम पंचवर्षीय योजना में पहले की ही तरह क्षेत्रीय संतुलन की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है । दशम पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में कहा गया था कि इस अवधि में योजना आयोग राज्य विशेष के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करेगा । हमें खुशी है कि दशम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के साथ एक विशेष खंड भी तैयार किया गया है जो राज्यों की योजनाओं से संबंधित है । उसमें राज्यों की विकासीय गतिविधियों तथ रणनीतियों का भी खुलासा किया गया है । वादा के अनुसार पिछड़े राज्यों के लिए एक विशेष कार्यक्रम (राष्ट्रीय सम विकास योजना) तैयार किया गया है । भारत सरकार से जो सहायता मिलेगी वह शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में होगी । बिहार के लिए पाँच वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत 4 हजार करोड़ रु० की राशि की सहायता की बात कही गयी है । यह राशि राज्य की योजना की राशि के अतिरिक्त होगी और कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी । पर यह पर्याप्त नहीं है । योजना आयोग के ही अनुमान के अनुसार दशम् पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार की गरीबी घटने के बजाय बढ़ेगी । तत्काल बिहार में गरीबों का प्रतिशत 42.60 है । दशम पंचवर्षीय योजना के अंत में यह बढ़कर 43.18 प्रतिशत हो जायेगी । पूरे देश में बिहार में गरीबों की संख्या सर्वाधिक (5 करोड़ 37 लाख) होगी जो पूरे देश के गरीबों की संख्या का 24.44 प्रतिशत है । अत: बिहार के लिए कुछ ओर करने की जरूरत है। राज्य के विभाजन के बाद इसकी अर्थव्यवस्था क्षत-विक्षत हो गयी है। और केन्द्र से अपेक्षा है कि इस संबंध में ठोस मदद राज्य को दें। अन्यथा देश में असमानता बढ़ेगी जो राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है ।

10. ऋण ग्रस्तता भी बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है । सन् 2001-02 के पुनरीक्षित आँकड़ों के मुताबिक बिहार के उपर 21152

करोड़ रु० के ऋण का बोझ है। इसमें से 7801 करोड़ रु० आंतरिक ऋण तथा 13351 करोड़ रु० भारत सरकार के ऋण हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य का ऋण भार 41.5 प्रतिशत है। इसे कम करने की जरूरत है क्योंकि इस भार के चलते राज्य सरकार को एक बड़ी राशि ऋण तथा सूद की अदायगी में खर्च करना पड़ता है। इनमें से कुछ ऋणों की माफी के लिए हमने प्रधान मंत्रीजी से भी अनुरोध किया था। माह अक्तूबर में मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी राज्य के ऋणों के विचलन के बारे में विचार-विमर्श हुआ था पर इस बिन्दु पर भी अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। अतः मेरा अनुरोध होगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाय।

11. बैंकों की ऋण नीतियों के संबंध में भी हमने राष्ट्रीय विकास परिषद् का ध्यान पिछली बैठक में आकर्षित किया था। बिहार के लोग विपन्नता के बावजूद कुछ पैसा बचाकर बैंकों में रखते हैं। पर बैंक इस पैसे का उपयोग राज्य में नहीं कर अन्यत्र करते हैं फलस्वरूप राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 21.32 प्रतिशत है। जबकि पूरे देश का अनुपात 58.53 प्रतिशत है। इसे रोका जाना चाहिये। इस समस्या का निदान हम वर्षों से ढूंढ़ रहे है। इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया था। उन्होंने एक टास्क फोर्स भी गठित किया। उसकी सिफारिशें भी आयी, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अतः हमारा आपसे आग्रह है कि आप कृपया इस समस्या का समाधान निकालें ताकि बिहार जैसे गरीब राज्य को अपनी गाढ़ी कमाई का लाभ मिल सके।

12. अंत में हम प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे विनिवेश, विदेशी पूँजी के आयात, राजकोषीय सुधार तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करायें ताकि उस सहमति के आधार पर ही विकास की अगली धारा प्रवाहित हो ।

धन्यवाद ।